भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2089

उत्तर देने की तारीख : 12.02.2026

एमएसएमई का कार्य-निष्पादन

2089. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वर्तमान स्थिति क्या है और रोजगार, उत्पादन, निर्यात और सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान क्या है;

(ख) वित्तीय सहायता, ऋण सहायता और प्रौद्योगिकी अपनाने सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, स्टार्टअप और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार की कौन सी योजनाएं और पहल कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ग) व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने, विनियामक अनुपालन भार को कम करने और एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच को सुगम बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास, क्षमता निर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ङ) एमएसएमई की निगरानी, लाभों की समय पर सुपुर्दगी और शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं; और

(च) देश भर में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, सतत विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए क्या अतिरिक्त नीतिगत, वित्तीय और संस्थागत उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए पंजीकरण में सुगमता हेतु दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की थी। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के दायरे में लाने के लिए सरकार ने दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की। उद्यम पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस पोर्टल की शुरुआत से दिनांक 09.02.2026 तक, आईएमई सहित 7.68 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हुए हैं और 33.82 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित होने की सूचना दी गई है। कुल निर्यात में एमएसएमई की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024-25 में (अमेरिकी डॉलर मूल्य के संदर्भ में) 48.55% थी। एमएसएमई क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी में 31.1% का योगदान दिया।

(ख) से (च) : केंद्र सरकार देश में एमएसएमई, स्टार्टअप और उद्यमिता के विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इनमें अन्यों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस), आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष के माध्यम से इक्विटी निवेश, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवर्धन और गतिवर्धन स्कीम (रैम्प), टूल रूम और तकनीकी संस्थान जिन्हें प्रौद्योगिकी केन्द्र (टीसी) के रूप में भी जाना जाता है, प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता, ऋण सहायता उपलब्ध करवाने और प्रौद्योगिकी अपनाने की पहलें करना शामिल हैं। इन स्कीमों के तहत दिए गए लाभ पूरे देश में सभी पात्र एमएसएमई को उपलब्ध हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने एमएसएमई के लिए व्यापार करने में सुगमता में सुधार करने, विनियामक अनुपालन बोझ को कम करने, बाजार पहुंच आदि को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. उद्यम और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ।
ii. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) एमएसएमई के सरकारी और सहकारी खरीदारों के साथ सार्वजनिक खरीद से संबंधित लेनदेन की सुविधा प्रदान करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म में से एक है। यूआरपी के माध्यम से, एक एमएसएमई जेम प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है और सरकारी खरीद में भाग ले सकता है।
iii. इसके अतिरिक्त, उद्यम पंजीकरण पोर्टल को श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा, ई-श्रम और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल जैसे पोर्टलों के साथ एकीकृत किया गया है।
iv. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का लाभ उठाने के लिए दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।
v. एमएसएमई की स्थिति में ऊर्धवगामी परिवर्तन के मामले में 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभों का विस्तार।
vi. वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विषय में शिकायतें दर्ज करने और बकाया देयताओं की निगरानी के लिए समाधान पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

देश में एमएसएमई के मध्य कौशल विकास, क्षमता निर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र भी शामिल हैं, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना के तहत बुनियादी और उन्नत उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि उद्यमियों को अपने व्यक्तिगत उद्यमशीलता कौशल में सुधार करने और अपने व्यवसाय या उद्यम को बढ़ाने में सहायता मिल सके। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, घटकों में कौशल उन्नयन घटक शामिल है, जिसमें लाभार्थी को बुनियादी और उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और कौशल प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करने पर, लाभार्थी अन्य योजना लाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र हो जाता है। एमएसएमई नवोन्मेषी योजना (इन्क्यूबेशन, डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार) को इन्क्यूबेशन और डिजाइन इंटरवेंशनों के माध्यम से विचारों को अभिनव अनुप्रयोगों में विकसित करने से लेकर संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई को तकनीकी रूप से विकसित करने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद करने के लिए देश भर में प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) और विस्तार केंद्र (ईसी) स्थापित किए हैं। ये टीसी / ईसी एमएसएमई और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उद्यमियों को प्रौद्योगिकीय सहायता, कौशल विकास, इन्क्यूबेशन और परामर्श जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं।

एमएसएमई के लिए निगरानी और शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" लॉन्च किया गया था, जिसमें ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं सहित शिकायतों का निवारण और एमएसएमई की सहायता करना शामिल था।

एमएसएमई में इको प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने, इसमें प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, सतत विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, अतिरिक्त नीतिगत उपायों के रूप में बजट 2026 में निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:

i. इक्विटी सहायता:
   - 10,000 करोड़ रुपए का एमएसई विकास समर्पित एक कोष।
   - आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपए का समावेशन।
ii. ट्रेडस के माध्यम से परिसमापन समर्थन।
iii. सरकार द्वारा, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में, 'कॉर्पोरेट मित्र' विकसित करने के लिए व्यावसायिक संस्थानों को सुविधा प्रदान की जाएगी जिसके माध्यम से किफायती लागत पर अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में एमएसएमई को सहायता प्राप्त हो सके।

*****